क्रम-संख्या–4(क-4)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू०/एन०पी० 561
लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, शनिवार, 18 जनवरी, 2025 ई0

(पौष 28, 1946 शक संवत्)

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या 3651/दस-लाइसेंस-77/बीयर फुटकर नियमावली/2024-25

प्रयागराज, दिनांक : 18 जनवरी, 2025 ई0

अधिसूचना

सा0प0नि0–4

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24-ख और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं0 12011/दस-लाइसेंस-77/इलाहाबाद 21 मार्च, 2001 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2001 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन)

(बाइसवाँ संशोधन) नियमावली, **2024**

1--संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (बाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

2- नियम-8 का संशोधन--उत्तर प्रदेश आबकारी (बीयर के फुटकर विक्रय के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
8-आवेदक के लिए पात्रता की शर्ते-	8-आवेदक के लिए पात्रता की शर्ते-
फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-	फुटकर बीयर की बिक्री की दुकानों के लाइसेंस के लिए पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी- अर्थात्-
(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।	(क) आवेदन, एक व्यक्ति द्वारा हो जो भारत का नागरिक हो, परन्तु नवीकरण की स्थिति में सह-आवेदक, यदि कोई हो, जो भारत का नागरिक हो, भी अनुज्ञात होगा।
भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी /यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।	भागीदार वाली फर्म अथवा कम्पनी, फुटकर लाइसेंस की स्वीकृति के लिये अर्ह नहीं होगी। इसी प्रकार थोक विक्रेता अथवा आसवनी /यवासवनी/ मदिरा/बीयर निर्माता भी किसी प्रकार की फुटकर दुकान का लाइसेंस धारण करने के लिये पात्र नहीं होगा।
दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/ निकट सम्बन्धियों, के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार विचारित किये जायेंगे:	दुकान के आवंटन के पश्चात् आवेदक की स्थिति में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, लाइसेंसधारी की मृत्यु की दशा में लाइसेंसधारी द्वारा दिये गये नामनिर्देशन शपथ पत्र (यदि कोई हो) के अनुसार विधिक वारिसों/परिवार के सदस्यों/ निकट सम्बन्धियों, के नाम, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में उल्लिखित वरीयता क्रम के अनुसार विचारित किये जायेंगे:
परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है:	परन्तु मृतक लाइसेंसधारी के नामनिर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है:

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की धारिता को जारी रख सकता है। दो व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे;	परन्तु यह और कि यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की धारिता को जारी रख सकता है। दो व्यक्तियों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा जो संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे; परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती वर्षों से नवीकृत होती आ रहीं दो लाइसेंसों वाली दुकानों के मामलों में नवीकरण के पूर्व ही किसी एक लाइसेंधारी की मृत्यु हो जाती है तथा उसके विधिक वारिस अथवा नामनिर्देशिती आवेदन नही देता है अथवा वह अनुपयुक्त पाया जाता है तो, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अन्य जीवित लाइसेंधारी के पक्ष्ा में सम्बन्धित वर्ष हेतु दुकान की संपूर्ण प्रतिभूति, विहित दिनांक तक जमा करने के निर्बंधन के साथ दुकान का नवीकरण किया जाना अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष की जमा प्रतिभूति नियमानुसार वापस की जायेगी। परन्तु यह और भी कि यदि पूर्ववर्ती वर्षो से नवीकृत होती आ रहीं दो जीवित लाइसेंधारी वाली दुकानों का नवीकरण केवल दोनों ही लाइसेंधारियों के मध्य नवीकरण हेतु सहमति की दशा में ही किया जायेगा। सहमति के अभाव में नवीकरण किया जाना अनुमन्य नही होगा।
(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो।	(ख) आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के लिये नियत अवधि के प्रथम दिवस पर इक्कीस वर्ष की आयु से अधिक हो

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।	(ग) व्यतिक्रमी/काली सूची वाला न हो या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो। कोई व्यक्ति, जो किसी आबकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो, लाइसेंस धारण करने से स्वतः विवर्जित हो जायेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्णतः और अन्तिम रूप से दोषमुक्त न कर दिया गया हो।
(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा: परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।	(गग) आवेदनकर्ता, किसी एक दुकान के लिए स्वंय के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए पात्र होगा: परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में आवेदक एवं सह-आवेदक दोनों पात्र होंगे तथा नवीकरण हेतु उनकी पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।
(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगाः-	(घ) निम्नलिखित के प्रमाण स्वरूप पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक रुप से सत्यापित शपथपत्र प्रस्तुत करेगाः-
(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।	(एक) यह कि उसके पास समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबंधों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर है अथवा उसने किराए पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध किया है।
(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।	(दो) यह कि उसकी दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।	(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध न किया गया हो।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।	(चार) यह कि लाइसेंसधारी के रूप में उसके चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह निवासी है, के जिला कलक्टर या सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिश्नरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट, सहायक पुलिस आयुक्त की रैंक से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र यह दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा कि लाइसेंस जारी होने के पूर्व उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक अभिलेख नहीं है।
(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के उपरान्त प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा।	(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि खण्ड-तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी जिला आबकारी अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के उपरान्त प्राधिकृत बिक्रेता/प्राधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करेगा।
(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।	(छः) यह कि उस पर किसी सार्वजनिक देयों या सरकारी देयों का बकाया नहीं है।
(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।	(सात) यह कि वह ऋणशोधक्षम है और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्योरा, यदि अपेक्षित होगा, लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा देगा।
(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।	(आठ) यह कि आवेदक माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त हो जाने के उपरान्त यह प्रमाणित हो जाता है कि वह माफिया गतिविधियों, असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसे आवंटित किया गया लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।	(नौ) यह कि आवेदक बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता नहीं है। यदि लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर उसे बार काउसिंल में रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ता पाया जाता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। राज्य सरकार का कर्मचारी भी लाइसेंस स्वीकृति हेतु आवेदन करने के लिये अपात्र होगा।
(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।	(दस) यह कि लाइसेंसधारी के रुप में चयन हो जाने की स्थिति में चयन के 48 घंटे के भीतर धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट, जिसे आन-लाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया है, को जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करा देगा।
(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।	(ग्यारह) यह कि उसने धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग इस चरण में किसी अन्य दुकान हेतु आवेदन में नही किया है।
(ङ) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।	(ङ) आवेदक द्वारा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित धरोहर धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट जो सम्बन्धित दुकान के जिला के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी हो, की स्कैन प्रति आनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जायेगा। लाइसेंसधारी के रूप में चयन हो जाने की स्थिति में, धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट, चयन के पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा जिसे दुकान की सभी देयताओं के भुगतान के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी:	(च) आवेदक ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र या प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा निर्गत सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र का धारक हो तथा उसकी ऋणशोधन क्षमता या प्राधिकृत आयकर मूल्यांक द्वारा निर्गत सम्पति स्वामित्व प्रमाण पत्र की मालियत जिला में आवेदित दुकान का लाइसेंस प्रदान करने के लिए अवधारित लाइसेंस शुल्क की धनराशि से कम नही होगी:

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।	परन्तु नवीकरण की स्थिति में गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान प्रस्तुत किया गया ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण-पत्र, यदि विधिमान्य है एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होगा।

3. नियम-12-का संशोधन-- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-12 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी: परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय।	12- लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान- यदि किसी आवेदक को लाइसेंसधारी के रुप में चयनित किया जाता है तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के दस कार्यदिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के बीस कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दे। आवेदक द्वारा लाइसेंस फीस का समस्त भुगतान अधिमानतः ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा एवं प्रतिभूति धनराशि, सावधि जमा रसीद के माध्यम से जो सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में गिरवीकृत हो अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी: परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नगद अथवा राष्ट्रीय बचत-पत्र अथवा बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति, तब तक मान्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय। परन्तु यह और कि प्रतिभूति धनराशि विहित अवधि के भीतर जमा नही की जाती है तो, रु0 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी । शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी ।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	परन्तु यह भी कि यदि आवेदक विहित समयावधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;
अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी:	अनुवर्ती वर्ष में, दुकान का लाइसेंस लाइसेंसधारी की इच्छा पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नवीकृत किया जा सकेगा। नवीकरण हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के अन्तर की धनराशि राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नियत समयावधि में जमा की जायेगी:
परन्तु यह कि यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा;	परन्तु यह कि यदि प्रतिभूति नियत अवधि के भीतर जमा नहीं जमा की जाती है तो, रु. 2000/- प्रति दिवस की दर से शास्ति अधिरोपित होगी। शास्ति सहित प्रतिभूति धनराशि जमा करने हेतु मात्र 15 दिवस की अवधि अनुमन्य होगी ।
	परन्तु यह और कि यदि वह विहित अवधि के भीतर लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसके लाइसेंस का नवीकरण निरस्त हो जायेगा;
परन्तु यह और कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पंद्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस व लाइसेंस फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।	परन्तु यह भी कि ई लाटरी/ई टेण्डर के माध्यम से लाइसेंस व्यवस्थित होने की दशा में, उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि, यदि उसके द्वारा जमा की गयी है, तथा लाइसेंस के नवीकृत होने की दशा में उसकी गत वर्ष की जमा प्रतिभूति का पंद्रह प्रतिशत तथा नवीकरण फीस, यदि उसके द्वारा जमा की गयी हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

4- नियम-13 का संशोधन--उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-13 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
13 बीयर/वाइन का उठान-	13 बीयर/वाइन का उठान-
(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/वि0म0 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/वि0 म0 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।	(क) इस नियमावली के अधीन लाइसेंसधारी कम तीव्रता के मादक पेय सहित बीयर एवं वाइन के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान, जिसके अन्तर्गत सभी कर, प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क सहित) जो समय-समय पर उदग्रहीत किये जांय, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से जमा करने के पश्चात् जिला के किसी थोक लाइसेंसधारी वि0म0-2/वि0म0 2(ख) लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा। यदि सम्बन्धित जिला में वि0म0-2/वि0 म0 2(ख) लाइसेंस स्वीकृत नहीं है, तो लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से अन्य जिला/जिलों के थोक बिक्री लाइसेंसधारी से आपूर्ति प्राप्त करेगा।
अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।	अपर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त से आदेश प्राप्त करेगा।
(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।	(ख) अधिकतम फुटकर मूल्य- बीयर, वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय की बोतलों के लेबुलों पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य अंकित होगा। लाइसेंसधारी बोतलों के लेबुलों पर अंकित फुटकर मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा और यदि ऐसा करता पाया जायेगा तो उसे नियमानुसार दण्डित किया जायेगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को प्रत्येक या सरकार द्वारा बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;	(ग) लाइसेंसधारी के लिए ग्राहकों की मौसमी आवश्यकताओं के अनुसार स्थिर तथा निरन्तर गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने और साथ ही साथ बाजार में नकली आपूर्तियों के किन्हीं अवसरों को दूर करने हेतु लगातार बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करना बाध्यकारी होगा। उसे निरन्तर पोर्टल पर लिखित मांगपत्र अथवा संदेश थोक विक्रेता को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लाइसेंसधारी को प्रत्येक या सरकार द्वारा बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. का किसी माह हेतु निर्धारित प्रतिफल शुल्क के समतुल्य की बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी. की मात्रा का उठान करना बाध्यकारी होगा;
(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी.) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रकिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।	(घ) (एक) यदि लाइसेंसधारी किसी माह में कम से कम अपने निर्धारित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के समतुल्य मदिरा (बीयर, वाइन तथा एल.ए.बी.) का उठान करने में विफल रहता है तो वह सम्बन्धित माह के बकाया राजस्व के समतुल्य 10 दिवस के अंदर अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें विफल रहने पर लाइसेंस स्वत: निरस्त हो जायेगा और बकाया राजस्व की नियमानुसार वसूली की प्रकिया आरम्भ की जायेगी। दुकान पर अविक्रीत स्टाक जब्त कर लिया जायेगा।
	प्रथम एवं पश्चात्वर्ती त्रैमासिक में न्यूनतम त्रैमासिक राजस्व के उठान में कमी को प्रशमन धनराशि जमा करते हुए जिला आबकारी अधिकारी की अनुज्ञा से अगले त्रैमासिक में पूर्ण कर लिया जाना अनुमन्य होगा।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
	तथापि संबंधित माह/त्रैमास के बकाया राजस्व के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति समयांतर्गत जमा करने की दशा में अगले माह हेतु अवधारित राजस्व के समतुल्य उठान एवं पिछले त्रैमास तक के बकाया राजस्व के समतुल्य निकासी लाइसेंसधारी द्वारा ली जा सकेगी। किसी माह/त्रैमास तक अवधारित कुल चलित राजस्व के समतुल्य उठान कर लिये जाने की दशा में पूर्व में जमा अतिरिक्त प्रतिभूति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अन्य कोई बकाया न रहने की स्थिति में तुरन्त वापस कर दी जायेगी। अगले त्रैमास में अपेक्षित राजस्व (पिछले त्रैमास के बकाया राजस्व सहित) का उठान न करने पर प्रशमन की कार्यवाही की जायेगी।
(दो) अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर/वाइन/एल.ए.बी. उठाने में विलम्ब के मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व और चालू माह के न्युनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।	(दो) अतिरिक्त प्रतिभूति नियत समय के भीतर जमा करने और गत माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में कमी के समतुल्य बीयर/वाइन/एल.ए.बी. उठाने में विलम्ब के मर्षण के पश्चात लाइसेंसधारी को गतमाह के बकाया राजस्व और चालू माह के न्युनतम प्रत्याभूत राजस्व का उठान अनुमन्य होगा।
(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।	(तीन) इस प्रकार जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति, अगले माह के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व सहित गत माह में इस प्रकार हुयी कमी के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान किये जाने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माहों की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।	(चार) यदि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले एक या अधिक माहों की मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के बराबर बीयर, वाइन और कम तीव्रता के मादक पेय का उठान करने में विफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति एवं प्रतिभूति को राजस्व की ऐसी कमी के सापेक्ष समायोजित कर ली जायेगी और शेष प्रतिभूति वापस कर दी जायेगी।

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।	यदि जमा की गयी अतिरिक्त प्रतिभूति और प्रतिभूति राजस्व में कमी के सापेक्ष समायोजन के लिए अपर्याप्त हो तो शेष राजस्व की वसूली उसी प्रकार से की जायेगी मानों यह भू- राजस्व का बकाया हो।
(ङ) (एक) अपनी दुकान के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।	(ङ) (एक) अपनी दुकान के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व का अंश, जिसे वह उठाने में सक्षम न हो, उसी प्रकार के अन्य लाइसेंसधारी को अन्तरित करना चाहने वाले लाइसेंसधारी को, किसी आबकारी जिला के भीतर मासिक आधार पर ऐसे अंश (कोटा) का अंतरण करने की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है।
(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।	(दो) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी, अंतरिती लाइसेंसधारी की सहमति से जिला के जिला आबकारी अधिकारी से अनुरोध करेगा। अंतरण की निबन्धनों का विनिश्चय, दोनों अंतरणकर्ता और अंतरिती लाइसेंसधारियों द्वारा पारस्परिक रुप से किया जायेगा।
(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।	(तीन) अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के अनुरोध का अनुमोदन किये जाने पर उसके द्वारा अंतरित किये जाने हेतु करारकृत कोटा को उसके मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व में से घटा दिया जायेगा और उसे उठा लिया गया समझा जायेगा तथा उसे अंतरिती लाइसेंधारी के लेखा में अंतरित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के रुप में जोड़ दिया जायेगा। यह मात्रा अंतरिती लाइसेंसधारी के मूल मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के अतिरिक्त होगी और उसका मूल कोटा उठाये जाने से सम्बन्धित उसका दायित्व प्रभावित नहीं होगा। परन्तु यह कि इस उपबन्ध के अधीन अंतरित कुल कोटा, अंतरणकर्ता लाइसेंसधारी के मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत राजस्व के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5. नियम-17 (क) का संशोधन-- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-17 (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
17(क) अन्तरिम व्यवस्थापन- यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा।लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा।	17(क) अन्तरिम व्यवस्थापन- यदि लाइसेंस को इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में निलम्बित, निरस्त या समर्पित किया जाता है या यदि किसी अन्य कारण से दुकान का व्यवस्थापन होना रह गया हो तो लाइसेंस प्राधिकारी सरकार के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित दरों के उच्चतम प्रस्ताव पर दैनिक लाइसेंस फीस का भुगतान किए जाने पर दुकान का अन्तरिम व्यवस्थापन एक बार में अधिकतम् 14 दिनों के लिए या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक तक, जो भी पहले हो, कर सकता है। एक दुकान के लिये दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक मैनुअल लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा। ऐसे लाइसेंसधारी को दैनिक लाइसेंस फीस की दर के अनुसार अन्तरिम व्यवस्थापन की अवधि के लिए प्रतिभूति धनराशि जमा करना भी अपेक्षित होगा। लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा किसी दुकान का ऐसा व्यवस्थापन दो से अधिक बार किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में आबकारी आयुक्त को सूचित करना आवश्यक होगा।
(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।	(ख) इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार किसी लाईसेंस के निरस्तीकरण या अभ्यर्पण की स्थिति में दुकान का मध्य-सत्र में नियमित व्यवस्थापन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा शीघ्रातिशीघ्र सार्वजनिक विज्ञापन देकर ई-टेण्डर प्रणाली के माध्यम से कराया जायेगा। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा। मध्य सत्र में व्यवस्थापित की जाने वाली दुकानों के लिए ई-निविदा प्रक्रिया में एकल निविदा भी स्वीकार किये जायेगें। पूर्वोक्त व्यवस्थापन की सूचना आबकारी आयुक्त को तत्काल प्रेषित किया जाना होगा।

डा0 आदर्श सिंह,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

Notification No. 3651/X-License- 77 /Beer Retail Niyamawali /2024-25

Prayagraj, dated : January 18, 2025

NOTIFICATION

In exercise of the powers under sections 24-B and 41of the United Provinces Excise Act, 1910 (U. P. Act no-IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U. P. Act no. 1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government hereby makes the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001 published vide Notification no. 12011/X-Licence77/Allahabad/ March 21, 2001 as amended time to time, namely-

THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENSES FOR RETAIL SALE OF BEER) (TWENTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2024

1. Short title and commencement–1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) (Twenty second Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2024.

2. Amendment of rule-8--In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Retail Sale of Beer) Rules, 2001 **(**hereinafter referred to as the **"**said rules**"**) for rule 12 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
8- Eligibility conditions for applicant-	8- Eligibility conditions for applicant-
Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:	Eligible applicant for licence of a retail beer shop must fulfill following conditions namely:
a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.	a) Application by an individual who is a citizen of India. Provided, in case of renewal co-applicant, if any who is a citizen of India, shall also be allowed.
No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.	No partnership firm or company shall be eligible for the grant of retail licence. Likewise, Wholesaler or Distiller/ brewer manufacturer of liquor/beer shall also not be eligible for holding licence of any type of retail shop.
No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, the names of legal heirs/family members/close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license:	No change in the status of applicant shall be allowed after allotment of shop. In case of death of licensee, the names of legal heirs/family members/close relatives mentioned as nominee in the nomination affidavit (if any) given by licencee shall be considered as per priority mentioned in the nomination affidavit, if otherwise not ineligible, to hold the license for the remaining period of the license:

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:	Provided that in the absence of any nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir if otherwise eligible, may continue to hold the license for the remaining period of the license:
Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir, of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;	Provided further that if a license is jointly held by two persons, in the event of death of either of them, the survivor along with the nominee or legal heir, of the deceased licensee, selected as above, if otherwise eligible, may continue to hold the license. No distinction will be made between the legal liabilities of the two persons who will be jointly and severally responsible;
	Provided also that in the case of shops with two licenses which have been renewed since previous years, if one of the licencees dies before renewal and his legal heir or nominee does not give application or he is found unsuitable, then on receipt of application, renewal of shop in favour of other surviving licencee will be permissible with the restriction of depositing the entire security of the shop for the respective year by the prescribed date. At the end of the financial year, the security deposit of that year will be returned as per rules.
	Provided also that if the shops with two surviving licencees which are getting renewed since previous years, renewal will be done only in the condition of consensus between both the licencees for renewal. In the absence of consensus, renewal will not be permissible.
(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.	(b) be above twenty-one years of age on the first day of the period fixed for receiving application.
(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.	(c) not be a defaulter/ blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions or any rules made under the Act. Any person who has been convicted of any excise offence shall be automatically debarred from holding the licence until and unless fully and finally acquitted by the competent court of law.
(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop	(cc) The applicant shall be eligible to make only one application in his own name for any one shop:

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
Provided that in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.	Provided that in case of renewal, applicant and co-applicant both shall be eligible and their mutual consent for renewal shall be essential.
(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:-	(d) submit an affidavit duly verified by notary public as proof of the following namely:-
(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.	(i) that he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premises in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time.
(ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules.	(ii) that his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any law or rules.
(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.	(iii) that he and his family members possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under the United Provinces Excise Act, 1910 or the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and nonbailable offence.
(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.	(iv) that in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of which he is the resident, showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal record prior to issuance of license.
(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/ representative from District Excise Officer on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.	(v) that he shall not employ and salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (iii) or, who suffers from any infectious contagious diseases or is below twenty-one years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Naukarnama bearing photographs of his authorized salesman/ representative from District Excise Officer on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time.
(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.	(vi) that he is not in arrear of any public dues or Government dues.

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.	(vii) that he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds for conducting the business, the details of which shall be made available to licensing authority if required.
(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.	(viii) that applicant is not involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities, if after issuance of licence it is proved that he is involved in mafia activities, anti social activities and organized offensive activities then the allotted licence shall be cancelled.
(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.	(ix) that applicant is not an advocate registered with Bar Council. If he is found registered advocate after getting the licence then the licence shall be cancelled. An employee of the Government shall also be ineligible to apply for the grant of licence.
(x) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.	(x) that In case of being selected as licensee, bank draft of earnest money which has been uploaded online along with application shall be deposited in the office of District Excise Officer within 48 hours of such selection.
(xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.	(xi) that he has not made use of bank draft of earnest money for the application of any other shop in the same phase.
(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.	(e) The applicant shall upload a scanned copy of bank draft issued in favour of District Excise Officer of the district of concerned shop for earnest money, along with online application, as may be fixed by the Excise Commissioner with the prior sanction of the State Government.
In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.	In case of selection as licensee, it shall be necessary to deposit bank draft of earnest money in the office of the concerned District Excise Officer within forty eight hours after selection, which shall be refunded to applicant after payment of all dues.

Column-I (*Existing rule*)	Column-II (*Rule as hereby substituted*)
(f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district:	(f) The applicant shall be the holder of solvency or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer and the worth of solvency or certificate of owned property certificate issued by authorized Income Tax valuer shall be equivalent to an amount not less than the license fee determined for the grant of licence of the applied shop in the district:
Provided that in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	Provided that in case of renewal solvency certificate or certificate of owned property issued by an authorized Income Tax Valuer produced during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.

3. Amendment of rule-12--In the said rules, for the existing rule 12 set out in Column-I below,the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	Column-II (*Rule as hereby substituted*)
12. Payment of License fee and Security amount-	12. Payment of License fee and Security amount-
In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection. Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment:	In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of licence fee within three working days of being intimated of his selection. He shall be required to deposit half of the security amount within ten working days of intimation of his selection, and balance of the security amount within twenty working days of intimation of his selection.Entire amount of license fee shall be deposited by the applicant preferably through E-payment, security amount will be deposited through Fixed Deposit Receipt pledged in favor of District Excise Officer or through e-payment:
Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate or Bank Guarantee shall be acceptable until it is not refunded.	Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate or Bank Guarantee shall be acceptable until it is not refunded.

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
	Provided further that if the security amount is not deposited within the prescribed period, a penalty of Rs. 2000/- per day will be imposed. Only a period of 15 days shall be allowed to deposit the security amount along with the penalty.
	Provided also that if the applicant fails to deposit the license fee or security amount within the prescribed time period, his selection will be cancelled.
In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government:	In subsequent year, the licence of the shop may be renewed on the desire of the licensee according to the parameter as fixed by the State Government. Difference amount of license fee and security shall be deposited for renewal within stipulated period as specified by the State Government:
Provided that if he fails to deposit the amount of license fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled:	Provided that if the security is not deposited within the stipulated period, a penalty of Rs.2000/- shall be imposed. Only a period of 15 days shall be allowed to deposit the security amount along with the penalty.
	Provided that if he fails to deposit the amount of license fee or security amount within stipulated time period, renewal of his license shall stand cancelled.
Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee and licence fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.	Provided further that in case of licence being settled through the e-lottery/ e-tender, his earnest money and license fee as well as the security amount, if deposited by him, and in case of licence being renewed, fifteenth percent of security amount of last year along with renewal fee, if deposited by him, shall also be forfeited in favour of State Government and the said shop shall be resettled forthwith, in manner as prescribed by the Government.

4. Amendment of rule-13-- In the said rules, for existing rule 13 set out in Column- I below,the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
13.Lifting of beer/Wine/LAB	13.Lifting of beer/Wine/LAB
(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer, wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/ F.L.2B) of the districts, after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.	(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of beer, wine in addition to low alcoholic beverages from any wholesale licence (FL-2/ F.L.2B) of the districts, after making full payment of cost price including all taxes, consideration fee (including additional consideration fee) as levied from time to time preferably through e-payment platform. If the FL-2/F.L-2B licence is not sanctioned or supply interrupts in the concerned district, the licensee shall obtain supplies from wholesale licencees of other district/districts with prior permission of the Excise Commissioner.
In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.	In case of insufficient supply of any district, District Excise Officer shall seek the orders from the Excise Commissioner.
(b) The Maximum Retail Price- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the lables of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the lables of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.	(b) The Maximum Retail Price- The Maximum Retail Price, as fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the lables of bottles of beer, wine and low alcoholic beverages. The licensee shall not charge from consumers more than the maximum retail price printed on the lables of bottles and if found to be doing so, he will be penalized as per rules.
(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each month beer, wine and low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer, wine and LAB for a month fixed by government;	(c) Licensee shall be under obligation to regularly lift beer/wine/low strength alcoholic beverage (LAB) to ensure steady and continuous quality supply as per seasonal requirements of the customers as well as to remove any chances of spurious supplies in the market. He shall regularly place written indents on portal or messages to the wholesaler. In order to meet the above requirements the licensee shall be under obligation to lift in each month beer, wine and low strength alcoholic beverage (LAB) at least equivalent to the consideration fee involved in the quantity of beer, wine and LAB for a month fixed by government;

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(d) (i) In case the licensee fails to lift liquor (beer, wine and LAB) at least equivalent to fixed Monthly Minimum Guaranteed Revenue in a month, then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be confiscated.	(d) (i) In case the licensee fails to lift liquor (beer, wine and LAB) at least equivalent to fixed Monthly Minimum Guaranteed Revenue in a month, then he shall be expected to deposit the additional security equivalent to remaining part of revenue of concerned month within 10 days, failing which the licence shall stand cancelled automatically and further proceedings shall be initiated to recover the loss of revenue as per Rules. The unsold stock on the shop shall also be confiscated. The shortfall in lifting of minimum quarterly revenue in the first and subsequent quarters shall be allowed to be made up in the next quarter by depositing the compounding amount with the permission of the District Excise Officer. However, in case of depositing the additional security equivalent to the outstanding revenue of the respective month/quarter within time, the licensee may take withdrawal equivalent to the revenue determined for the next month and withdrawal equivalent to the outstanding revenue till the previous quarter. In case the withdrawal equivalent to the total running revenue determined till any month/quarter is taken, the additional security deposited earlier shall be refunded immediately by the District Excise Officer in case there is no other outstanding amount. In case the required revenue (including outstanding revenue of the previous quarter) is not lifted in the next quarter, compounding action will be taken.
(ii) After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licencee shall be allowed to lift the short fall in revenue of previous month along with Minimum Guaranteed Revenue of the current month.	(ii) After deposit of additional security made within the stipulated time and delay being condoned in lifting the shortfall in Monthly Minimum Guaranteed Revenue of previous month, licencee shall be allowed to lift the short fall in revenue of previous month along with Minimum Guaranteed Revenue of the current month.

Column-I (*Existing rule*)	**Column-II** (*Rule as hereby substituted*)
(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous month along with Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the next month.	(iii) Additional security so deposited shall be refunded after lifting of beer, wine and LAB equivalent to such shortfall in previous month along with Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the next month.
(iv) In case licencee fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of one or more months before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .	(iv) In case licencee fails to lift beer, wine and LAB equivalent to the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of one or more months before the end of financial year, then the additional security and security deposited by him shall be adjusted against such shortfall of revenue and the remaining security shall be refunded. If the additional security and security deposited is insufficient for adjustment against the shortfall in revenue, the revenue remaining shall be recovered as if it were arrears of land revenue .
(e) (i) The licencee desiring to transfer the part of Monthly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a monthly basis, within an excise district.	(e) (i) The licencee desiring to transfer the part of Monthly Minimum Guaranteed Revenue, which he is not able to lift, to another licensee of the same type, may be allowed such transfer of such portion (quota) on a monthly basis, within an excise district.
(ii) The transferor licencee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.	(ii) The transferor licencee shall make a request along with the consent of the transferee licensee to the District Excise Officer of the district. The terms of transfer shall be decided by both the transferor and transferee licensees mutually.
(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Monthly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Monthly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected.	(iii) On approval of the request of the transferor licensee, the quota agreed upon to be transferred by him shall be deducted from his Monthly Minimum Guaranteed Revenue and shall be deemed to have been lifted and it will be added as a transferred Monthly Minimum Guaranteed Revenue in the account of the transferee licensee. This quantity will be over and above the original Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferee licensee and his obligation regarding lifting of his original quota shall not be affected.

Column-I (*Existing rule*)	Column-II (*Rule as hereby substituted*)
Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.	Provided that the total quota transferred under this provision shall not exceed 20% of the Monthly Minimum Guaranteed Revenue of the transferor licensee.

5. Amendment of rule-17(A)--In the said rules, for existing rule 17(A) set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (*Existing rule*)	Column-II (*Rule as hereby substituted*)
18 (A) Interim Settlement-	18 (A) Interim Settlement-
(a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner:	(a) In case a licence is suspended, cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules or if the shop remains unsettled for any reason the licensing authority may make interim settlement of the shop at the highest offer on the payment of daily licence fee, on such rates as notified by the Excise Commissioner with prior sanction of the Government for a maximum period of fourteen days at one stretch or till the date of regular settlement, whichever is earlier. In case of obtaining two or more equal offers for one shop, settlement shall be done through manual public lottery. Such licensee shall also be required to deposit security amount according to the rate of daily licence fees for the period of interim settlement. Such settlement of shop can be done more than twice by the licencing authority but in such situation it will be essential to inform the Excise Commissioner:
(b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement. The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.	(b) In case a license is cancelled or surrendered in accordance with the provisions of these rules, regular settlement of the shop shall be done as soon as possible by the Licensing Authority through the process of e-tender in mid session after giving public advertisement.Single tender shall also be accepted in the e-tender process for the shops to be settled in the mid session.The intimation of aforesaid settlement shall be sent forthwith to the Excise Commissioner.

DR. ADARSH SINGH,
Excise Commissioner,
Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी0—12 असाधारण गजट—24-01-2025—127 प्रतियां (डी0टी0पी0 / आफसेट)।